उम्मीदवारों के लिए निर्देश

ओएमआर शीट के संबंध में आरपीएससी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश:-

1. इसमें 100 बहुविकल्पीय (वस्तुनिष्ठ प्रकार) प्रश्न होंगे, जिनके अंक समान होंगे।

2. प्रत्येक प्रश्न के लिए एक विकल्प भरना अनिवार्य है।

3. सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे।

4. प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक उत्तर देना होगा। यदि एक से अधिक उत्तर अंकित किए गए हैं, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा।

5. ओएमआर उत्तर पत्रक इस प्रश्न पुस्तिका के अंदर है। जब आपको प्रश्न पुस्तिका खोलने के लिए निर्देशित किया जाए, तो उत्तर पत्रक को बाहर निकालें और केवल नीले बॉल प्वाइंट पेन से सावधानीपूर्वक विवरण भरें।

6. कृपया ओएमआर उत्तर पत्रक में अपना रोल नंबर सही भरें। गलत रोल नंबर भरने के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

7. प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। गलत उत्तर का अर्थ है किसी प्रश्न के लिए गलत उत्तर या एक से अधिक उत्तर।

8. प्रत्येक प्रश्न में 1,2,3,4,5 के रूप में चिह्नित पांच विकल्प हैं। आपको उत्तर पत्रक पर सही उत्तर को इंगित करने वाले केवल एक गोले (बुलबुले) को नीले बॉल पोइंग पेन से काला करना होगा।

9. यदि आप कोई प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, तो आपको गोले 'S' को काला करना होगा। यदि पाँचों में से किसी भी गोले को काला नहीं किया जाता है, तो प्रश्न के एक तिहाई (1/3) अंक काट लिए जाएँगे।

10. प्रश्नपत्र हल करने के बाद, अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न के लिए एक गोले (बुलबुले) को काला किया है। इसके लिए निर्धारित समय से 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

11. यदि अभ्यर्थी ने 10% से अधिक प्रश्नों में पाँचों में से किसी भी गोले को काला नहीं किया है, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

12. यदि मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकृति की कोई अस्पष्टता/गलती है, तो प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण में से, अंग्रेजी संस्करण को मानक माना जाएगा।

13. परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री पाई जाती है तो उसके साथ नियमानुसार सख्ती से निपटा जाएगा।

चेतावनी: यदि कोई अभ्यर्थी नकल करता हुआ पाया जाता है या उसके पास कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है तो उसके विरुद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी तथा उस पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2022, अन्य लागू कानून तथा आयोग के विनियमों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। आयोग उसे भविष्य की सभी परीक्षाओं से स्थायी रूप से प्रतिबंधित भी कर सकता है।